121

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1090—एक/2002 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 13—09—2001 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 187/2000—01/निगरानी

.....

1— बृजेश कुमार पुत्र श्री चिरोंजीलाल

2— रविन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल

निवासीगण— ग्राम बहादुरपुर, तहसील— मुंगावली

जिला—गुना (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना

..... अनावेदक

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, शासकीय अभिभाषक अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 15-11-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13—09—2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार मुंगावली द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 61/अ—19/93—94 में पारित आदेश दिनांक 13.07.94 द्वारा ग्राम बहादुरपुर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 165/1 में से रकबा 0.209 है0, आवेदकगण के हक में व्यवस्थापित की गयी है। जांच के दौरान प्रकरण में अनियमिततायें पाये जाने के कारण प्रकरण अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया जाकर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर दिनांक 28.12.98 को

तहसीलदार का उक्त आदेश निरस्त कर दिया गया है। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्व न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है, जो प्रकरण क्रमांक 187/2000–01/निगरानी पर दर्ज किया जाकर दिनांक 13.09.2001 को आदेश पारित कर ठोस आधार के अभाव में निगरानी अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त ग्वालियर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि विवादित भूमि पर आवेदकगणों का दिनांक 02.10.84 के पूर्व से कब्जा था। अतः इस कारण उनके हित में व्यवस्थापन किया गया थ । इस व्यवस्थापन में कभी किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई । ऐसी स्थिति में स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण को समझने में वैधानिक भूल की है । प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र का न होकर कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंधत अधिनियम 1984 का है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गये हैं वह विधि के विरूद्ध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा आवेदक को विधिवत साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान ही नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को इस बिन्दू पर विचार कर आदेश पारित करना था जो नहीं किया गया। अपर कलेक्टर का आदेश तहसील न्यायालय के एकपक्षीय प्रतिवेदन पर आधारित है। जबकि ऐसा प्रतिवेदन साक्ष्य ग्राह्य ही नहीं था। अतः ऐसी स्थिति में एक पक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। लम्बे समय पश्चात अर्थात 4 वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार न करने में वैधानिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय मात्र उपधारणाओं पर आधारित है। तहसील न्यायालय ने विधिवत प्रक्रिया का पालन किया था, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई एवं पंचायत का प्रस्ताव अभिलेख पर था तब ऐसी स्थिति में वह किस कारण से विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य था। इस तरह के कोई भी कारण अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा नहीं बताये गये । अतः ऐसा आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में निरंतर 10–12 वर्ष से विवादित भूमि पर कब्जा होने का उल्लेख किया गया है किन्तु उक्त निरंतर कब्जे के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जो खसरा प्रति संलग्न की गई है उसमें संवत 2047 से 2050 तक का ही कब्जा कॉलम नं0 12 में दर्ज है जो कि वर्ष 1984 के बाद का है। विशेर्ष उपबंध अधिनियम 1984 के प्रावधानों में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि आवेदक का कब्जा 2 अक्टूबर 1984 के पूर्व अभिलेख से प्रमाणित होना चाहिये, किन्तु वर्तमान प्रकरण में इस आशय का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। विचारण न्यायालय में न तो पटवारी आहूत किया जाकर मौके पर कब्जे के संबंध में उसके कथन अंकित किये गये और न ही पंचानामा साक्षियों के कथन ही अंकित किये गये है। प्रकरण में जो इश्तहार जारी किया गया है, उसके अवलोकन से यह कर्त स्पष्ट नहीं होता है कि इसका प्रकाशन किस दिनांक को किया गया है, जिससे तीस दिन की गणना की जा सके। प्रकरण में प्रथम कार्यवाही विवरण दिनांक 22.04.94 को अंकित की गई है, जिसमें इश्तहार जारी किये जाने बावत निर्देया अंकित है। यदि किसी तरह यह भी मान लिया जाये कि दिनांक 22.04.94 को ही इश्तहार जारी किया जा चुका था और विधिवत सभी दर्शित सीनों पर उसी दिनांक को चस्पा किया जा चुका था, तो फिर नियम दिन 30 दिन के पूर्व ही अर्थात् 16.05.94 को कार्वाही विवरण में कोई आपत्ति प्राप्त न होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार की कार्यवाही प्रथम दृष्टया लापरवाही पूर्ण होकर न्यायालयीन प्रक्रिया का मखौल उठाना प्रतीत होती है।

6/ विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी प्रकाश हुआ है कि विचरण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया व न तो ऑर्डरशीट पर पारित किया गया और न ही प्रथक से आदेश संलग्न किया गया है बल्कि पटवारी द्वारा पेश बेजा कब्जा व्यवस्थापन प्रतिवेदन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है उस पर ही संक्षिप्त आदेश अंकित कर दिया गया है, जो कि आदेश के परिधि में कतई नहीं आता है। इस प्रकार का आदेश न तो विशेष उपबंध अधिनियम–1984 में निर्धारित प्रारूप में ही आता है और न ही रा.पु.प. की कंडिका–4(3) के प्रावधानों के तहत आता है। न्यायालयीन प्रक्रिया में इस प्रकार का आदेश कतई स्वीकार योग्य नहीं है। पीठासीन अधिकारी–तहसीलदार जैसे उच्च अधिकारी के पद पर कार्यरत होते हुये इस प्रकार नियमों एवं कानून की अवहेलना की है।

तहसीलदार का इस प्रकार का कृतय अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहॅूचाने के लिये एवं स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिये किया जाने वाला कृतय प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है जो कि कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस प्रकार की त्रुटियां विधिक त्रुटियां तो है ही, साथ प्रक्रियात्मक त्रुटियां भी ऐसी है, जो आदेशात्मक स्वरूप की है, जिनका पालन अनिवार्य रहता है। अपर कलेक्टर, अशोकनगर द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश के बारे में विस्तार से विवेचना की गई है। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने अपर कलेक्टर के आदेश को विधिसंगत माना है और तहसीलदार के आदेश के संबंध में पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव विधिवत तैयार किया जाकर कलेक्टर गुना के संभागायुक्त कार्यालय को भिजवाये जाने हेतु लिखा गया है । साथ ही अपर आयुक्त ग्वालियर ने अपने आदेश की प्रति कलेक्टर गुना को पृथक से भेजी है व एक प्रति उपायुक्त राजस्व आयुक्त कार्यालय को आगामी कार्यावाही हेतु भेजा है । मैं अपर आयुक्त, ग्वालियर के इस निर्णय से सहमत हूॅ । अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा तहसीलदार के विरूद्ध जो कार्यवाही की गई है वह विधि के प्रावधानों के अनुसार सही है।

7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2001 स्थिर रखा जाता है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर